जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय,

हजारीबाग।

(जिला सामान्य शाखा)

विवरणिका

विज्ञापन संख्या–01/2024

चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा : 2024

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग।

(सामान्य शाखा)

विज्ञापन संख्या–01/2024

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथिः 21/08/2024

हजारीबाग जिलान्तर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्त्ती हेतु विज्ञापन।

सरकार के संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–3910, दिनांक 27/06/2024 के द्वारा चौकीदारों के रिक्त पदों पर समय सीमा के अन्दर नियुक्ति प्रकिया पूर्ण करने हेतु निर्देश प्राप्त है। मुख्य सचिव महोदय, झारखण्ड, राँची के द्वारा दिनांक 01/07/2024 को Video Conference के माध्यम से आयोजित बैठक में भी निदेश दिया गया है कि चौकीदारों के आरक्षण रोस्टर तैयार कर आयुक्त कार्यालय से रोस्टर को अनुमोदित कराकर तत्काल विज्ञापन प्रकाशित किया जाय। उक्त के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 893/सा0 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा भेजे गये आदर्श आरक्षण रोस्टर पर आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के पत्रांक 820 दिनांक 12.07.2024 द्वारा अनुमोदन प्राप्त है। अतः उपरोक्त निदेश के अनुपालन में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या–2032, दिनांक–07/04/2015 द्वारा निर्गत चौकीदार नियुक्ति नियमावली, विभागीय अधिसूचना संख्या–4998, दिनांक 19/09/2019 के आलोक में 194 ग्रामीण चौकीदार के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते है।

पद का नामः चौकीदार

रिक्त पदो की संख्याः 194

कोटि	अनारक्षित	आ0क0व0	अ0ज0जा0	अ0जा0	अ0पि0व0	पि0व0	कुल
रिक्त पद	156	19	01	0	0	18	**194**

1. कोटिवार रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।
2. विभाग से विभिन्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन प्राप्त होने/ अन्य न्यायालीय/ विभागीय आदेश के आलोक में आवश्यकता अनुसार विज्ञापन में आंशिक/ पूर्ण संशोधन अथवा विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है।
3. कोटिवार रिक्त पदो की विवरणी बीट संख्या एवं नाम सहित **परिशिष्ट–1** में संलग्न है।
4. आरक्षण–झारखण्ड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए लागू आर्दश आरक्षण।

5. क्षैतिज आरक्षण

i. पर्यटन कला संस्कृति खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या-1709, दिनांक-12.09.2007 के आलोक में निर्धारित खेल कूद कोटा से खिलाड़ियों के लिए 2% पद क्षैतिज रूप से आरक्षित होगा।

ii. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-2249, दिनांक-03.04.2018 के अनुसार निःशक्त जनों हेतु 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। चौकीदार नियुक्ति नियमावली 2015 के कंडिका 9 के आलोक में निःशक्त को आरक्षण की अनुमान्यता पर संशय है। चौकीदार ग्रामीण पुलिस माने जाते है इस कारण भर्ती में निःशक्त को आरक्षण अनुमान्य होगा अथवा नहीं? तत्संबंधी **सरकार से मार्गदर्शन की मांग की गयी है, मार्गदर्शन के अनुरूप इसके अनुमान्यता पर निर्णय प्रभावित होगा।**

iii. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-5555, दिनांक-28.06.2016 के द्वारा अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटे में से 2% पद क्षैतिज रूप से आदिम जनजाति को अनुमान्य होगा।

iv. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-8281, दिनांक-03.12.2021 के आलोक में महिलाओं के लिए 5% पद क्षैतिज आरक्षित होगा।

नोटः- **क्षैतिज आरक्षण का लाभ उन्ही अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करेंगे।**

6. शैक्षणिक योग्यता :-

चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/ बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दिनांक 01/08/2024 तक दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा ही नियुक्ति हेतु आवेदन किया जायेगा।

7. चरित्र :-

अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं अपराधिक इतिहास नहीं हो। चरित्र की जाँच नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा करवायी जाएगी।

8. उम्र सीमा

क) न्यूनतम उम्र सीमा- 18 वर्ष

ख) अधिकतम उम्र सीमा-

1. अनारक्षित- 35 वर्ष
2. पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग- 37 वर्ष
3. महिला (अनारक्षित/पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)- 38 वर्ष
4. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरुष/महिला)- 40 वर्ष
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 35 वर्ष

नोट : **गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या–4998 दिनांक–19.09.2019 द्वारा पूर्व में अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थियों (माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायादेश से प्रभावित/अच्छादित) के लिये अधिकतम उम्र सीमा को एक बार की नियुक्ति प्रक्रिया के लिये शिथिल किया गया है। साथ ही सभी श्रेणी दिव्यांगजनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमान्य है।**

(आयु की गणना की तिथि– 01/08/2024)

9. अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा, जिस बीट के रिक्ति के विरूद्ध वे आवेदन कर रहे है।

10. अभ्यर्थी को साईकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा।

11: नियुक्ति प्रक्रिया :–

(क) लिखित परीक्षा–

1. सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 50 अंको की ली जायेगी।
2. लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।
3. लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. सफल उम्मीदवारो की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जायेगी।
5. लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 (पचास) बहुविकल्पीय प्रश्न जिसके लिये डेढ़ घंटे का समय होगा। गलत उत्तर के लिये कोई अंक कटौती नहीं की जायेगी।

(ख) शारीरिक माप– अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा।

		उँचाई (सामान्य)
(i)	सामान्य जाति/आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS)	160 से0मी0
(ii)	पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग	160 से0मी0
(iii)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति	155 से0मी0
(iv)	महिलाओं के लिए	148 से0मी0

(ग) शारीरिक जाँच– लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जाँच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी एक मील के दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जाँच में निम्न आधार पर अंक दिये जायेंगे।

(a) एक मील की दौड़

		समय	अंक
(i)	पुरूषों के लिये	05 मिनट या पहले 05 मिनट के बाद 06 मिनट तक (अधिक समय लेने वाले निरर्हित समझे जायेंगे)	20 अंक 10 अंक
(ii)	महिलाओं के लिये	08 मिनट या पहले 08 मिनट के बाद 10 मिनट तक (अधिक समय लेने वाले निरर्हित समझे जायेंगे)	20 अंक 10 अंक

12. माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची के द्वारा याचिका W.P.(S)960/2016 सलन चम्पिया एवं अन्य बनाम –झारखण्ड राज्य में दिनांक–23.07.2018 W.P.(S)3040/2020 में दिनांक–19.01.2021 एवं W.P.(S)2302/2020 में दिनांक–23.11.2020 को पारित आदेश के आलोक में चौकीदार नियुक्ति नियमावली में संशोधन संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या–4998, दिनांक–19.09.2019 के तहत् पूर्व से अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को कार्यानुभव के लिए Weightage प्रदान की जायेगी। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश से उदभूत एवं प्रभावित/ अच्छादित अभ्यर्थियों के संदर्भ में साक्ष्य आधारित सम्पुष्टी के उपरान्त 02 अंक प्रत्येक पूर्ण 01(एक) वर्ष की दर से अधिकतम 20 अंक देय होगा।

13. लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जाँच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी।

14. **मेधा सूची–** लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जाँच में प्राप्त अंक एवं कार्यानुभव में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

15. **चिकित्सा परीक्षणः–** नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जाँच की जायेगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता मापदण्ड के आधार पर अभ्यर्थियों को योग्य पाये जाने पर ही नियुक्त किया जायेगा।

16. **परिवीक्षाः–** चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष की होगी। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है। वर्द्धित अवधि के दरम्यान भी सेवा संतोषजनक नही पायी जाय, तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है।

17. **वेतनमानः–** चौकीदार का षष्टम पुनरीक्षित वेतनमान–पी0बी0–। 5200–20200, ग्रेड वेतन 1800 के आधारित सप्तम पुनरीक्षित वेतनमाज Schedule-1के Pay Matrix Level-1, 18000-56900 के मूल वेतनमान 18000.00 तथा समय–समय पर देय अन्य भत्ता।

18: आवेदन करने की प्रक्रिया

a. उपरोक्त योग्यता सह अहर्त्ता रखने वाले उम्मीदवारो से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आवश्यक कागजात यथा

1. शैक्षणिक अंक पत्र/ प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
2. आरक्षण के दावा हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत अद्यतन संकल्प/परिपत्र/ दिशा–निर्देश के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा अद्यतन विहित

प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं EWS प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

3. जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
4. कार्यानुभव प्रमाण पत्र (न्यायादेश से अच्छादित अभ्यर्थियों के लिये) की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
5. निःशक्तता एवं खेल-कूद कोटा से संबंधित क्षैतिज आरक्षण का दावा हेतु संबंधित विभाग द्वारा निर्गत संकल्प के अनुरुप प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
6. स्वअभिप्रमाणित चार पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो(जिसमें से एक आवेदन पत्र पर एवं एक प्रवेश पत्र पर चिपकाया हुआ रहेगा तथा दो अतिरिक्त फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न रहेगा) एवं 7. स्वपता लिखा लिफाफा जिसके उपर 26 रूपये का डाक टिकट लगा हो संलग्न करते हुए बन्द लिफाफे में दिनांक-21/08/2024 के संध्या 05:00 बजे तक उपायुक्त का कार्यालय, सामान्य शाखा, हजारीबाग में आवेदन जमा कराया जा सकता है।

b. दिनांक-21/8/2024 की संध्या 05:00 बजे के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

c. किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

d. आवेदन को बन्द लिफाफे में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है।

e. अन्य विवरणी जिला के अधिकृत बेबसाईट www.hazaribag.nic.in पर देखा जा सकता है एवं प्रपत्र को डाउनलोड किया जा सकता है।

f. परीक्षा शुल्क के रुप में अनारक्षित/पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS)- रू0 100/-(एक सौ) एवं अनुसूचित जन जाति/अनुसूचित जाति-रू0 50/- (पचास) का भारतीय पोस्टल ऑडर/बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त, हजारीबाग के पद नाम से भुगतेय होगा संलग्न करना अनिवार्य है।

g. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-8559, दिनांक-23.10.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनु मान्य है (निःशुल्क)।

h. परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी।

i. अभ्यर्थी लिफाफे के उपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या (यदि न हो तो केवल बीट का नाम अंकित करें), बीट का नाम, अंचल का नाम एवं थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे।

j. आवेदन भेजने का पता निम्न है:-

प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा,
उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग
पिन नं0-825301.

नोटः- विज्ञापन को किसी समय रद्द करने अथवा संशोधित करने का सर्वाधिकार उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

5/8/24 जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, हजारीबाग।	5/8/24 अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग।	05/08/24 अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही, हजारीबाग।
05.08.24 उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग।	पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग।	5/8/24 उपायुक्त, हजारीबाग।

ज्ञापांक-...963......./सा0 हजारीबाग, दिनांक 07/08.../2024

प्रतिलिपिः- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, हजारीबाग को विज्ञापन की प्रति संलग्न करते हुए निदेश है कि संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन सभी स्थानीय समाचार पत्रों में किया जाय।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना विज्ञापन पदधिकारी, हजारीबाग को विज्ञापन की प्रति संलगन करते हुए निदेश है कि जिला के अधिकृत वेबसाईट www.hazaribag.nic.in पर विज्ञापन प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपिः- पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग/उप विकास आयुक्त, हजारीबाग/ अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग/ सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग/ सभी अंचल अधिकारी, जिला-हजारीबाग/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला- हजारीबाग/ सभी थाना प्रभारी, जिला-हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि सभी थाना/ अंचल क्षेत्र/ पंचायत स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रचार करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, जिला- हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सरकार के अवर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

7/8/24
उपायुक्त,
हजारीबाग।

चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र
विज्ञापन संख्या–01/2024

आवेदन भरने की अंतिम तिथि– 21/08/2024

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी –सह– उपायुक्त,
हजारीबाग।

स्व– अभिप्रमाणित रंगीन फोटो पासपोर्ट साईज

गृह जिला का नामः................................ अंचल का नाम................ आवेदित बीट क्षेत्र का नाम.................. बीट संख्या.......... ग्राम का नाम.....................

1. अभ्यर्थी का नाम (बड़े अक्षरों में)

   हिन्दी में :...

   अंग्रेजी में :...

2. पिता/ पति का नाम :– हिन्दी में :...

   अंग्रेजी में :...

3. जन्म तिथि :– (अंको में)..............................(शब्दों में).....................................

   (दिनांक 01/08/2024 को उम्र).............वर्ष.................माह............दिन............

4. आवेदक का स्थानीय भाषा का नाम :–...................................

5. अभ्यर्थी का स्थायी पता :–

   - ग्राम :–
   - पंचायत :–
   - पोस्ट :–
   - थाना :–
   - अंचल का नाम :–
   - बीट संख्या :–
   - बीट का नाम :–
   - बीट में संलग्न ग्रामों में से आवेदक के ग्राम का नामः–
   - जिला का नाम :–
   - मोबाईल नं0 :–
   - ई–मेल आई0डी0 :–

6. पत्राचार का पता :–...

   ....

E:\Shadab files\Proceeding of chowkidar (26.07.2024).docx

7. आवेदित पद का नाम :- चौकीदार

8. शरीर पर दो चिन्ह् का निशान

- ....
- ....

9. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र0	परीक्षा	बोर्ड/ विश्वविद्यालय	उत्तीर्णता का वर्ष	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1.	मैट्रिक				
2.	इंटरमिडिएट				
3.	स्नातक				
4.	अन्य				

10. लिंग (महिला /पुरुष/ अन्य) :- ....

11. यदि दिव्यांग हो तो निःशक्तता का प्रतिशत (प्रमाण पत्र संलगन करें)....................
उपयुक्त पर टिक ☐ करें।
अंधापन एवं कम दृष्टि ☐ चलन निःशक्तता ☐
बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता ☐ स्वलीनता,बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता ☐

12. यदि खिलाड़ी हों तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।
प्रमाण पत्र संख्या..........................तिथि.....................उपलब्धि........................

13. अभ्यर्थी के आरक्षण का कोटि :- अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ पिछड़ा /अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ....

14. आवासीय प्रमाण पत्र सं0.., निर्गत तिथि :.........................

15. जाति प्रमाण पत्र सं0.., निर्गत तिथि :..........................

16. आ0क0व0 प्रमाण पत्र सं0:...................................., निर्गत तिथि :.........................

17. परीक्षा शुल्क : पोस्टल ऑर्डर/ बैंक ड्राफ्ट संख्या.................तिथि................................

18. फोटो : पासपोर्ट साईज के रंगीन दो प्रति अतिरिक्त संलग्न

19 स्वपता लिखा लिफाफा जिसपर 26 रूपये का डाक टिकट लगा हो संलग्न।

20. क्या आवेदक के विरुद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज हुआ है, यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण अपराध की धारा सहित उल्लेख करे...................................

21. कार्यनुभव प्रमाण पत्र (अवैतनिक रूप से पूर्व से कार्यरत चौकीदारों हेतु, केवल माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश से आच्छादित अभ्यर्थी के मामले में) प्रति संलग्न है अथवा नहीं ?

अंचल का नाम	थाना	बीट संख्या	अवधि (वर्ष/ माह/ दिन)

घोषणा पत्रः मैं प्रमाणित करता/ करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गयी विवरणी मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि न तो मेरे विरुद्ध कोई अपराधिक वाद लंबित है और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है और न ही किसी नैतिक दुराचार से संबंधित किसी वाद में संलिप्त या संबंधित हूँ। मैं अवगत हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्त किसी भी सूचना के गलत पाये जाने पर मेरी अभ्यर्थिता चयन के किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है और मुझे परीक्षा में उपस्थिति से प्रतिबंधित किया जा सकता है। मैं यह भी जानता हूँ कि गलत या असत्य सूचना के आधार पर इन नियमों के अंतर्गत मेरी नियुक्ति होती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त/ रद्द कर दी जायेगी और मेरे विरुद्ध आपराधिक/ दाण्डिक कानुनों के तहत् अभियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

तिथिः–

स्थानः– (आवेदक का हस्ताक्षर)

(प्रपत्र–ख)

प्रवेश पत्र

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा)

स्वअभिप्रमाणित रंगीन फोटो पासपोर्ट साईज

1. आवेदित पद का नाम..

2. आवेदक का नाम ....

3. पिता/ पति का नाम...

4. पत्राचार का पता (पिन कोड के साथ)...

....

....

<u>केवल कार्यालय द्वारा भरा जायेगा</u>

5. रोल नम्बर...

6. परीक्षा का स्थान/ केन्द्र.....................................

7. परीक्षा की तिथि एवं समय.................................